संख्या– /71–3–06–एन–02/08

प्रेषक,

नरेन्द्र कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ:दिनांक 6/2 जनवरी, 2007

विषयः–रामा एजूकेशनल सोसाइटी (रामा डेण्टल कालेज) कानपुर में डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति/अनुमति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

———

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–30/2008, दिनांक 02–1–2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित तथ्यों/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त रामा एजूकेशनल सोसाइटी, कानपुर में डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन मे 30 छात्र एवं डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन मे 10 छात्र प्रति शैक्षिक सत्र प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जाती है:–

(1)संस्था द्वारा डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन मे 30 छात्र एवं डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन मे 10 छात्र प्रति शैक्षिक सत्र रखी जाय तथा किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थियों का चयन न किया जाय।

(2)संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रशिक्षण/प्रवेश के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों एवं चयन प्रकिया का पालन करना अनिवार्य है।

(3)संस्था का उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी प्रत्येक तीसरे वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार के किसी भी दिशा–निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

N.O.C

(4)प्रशिक्षणोंपरान्त छात्रों की, परीक्षाएं उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कराई जायेगी तथा परीक्षा में सफल छात्रों को फैकल्टी द्वारा नियमानुसार डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

2— कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
विशेष सचिव।

संख्या— 25 (1)/71—3—08—तद्दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्धक, रामा एजूकेशनल सोसाइटी (रामा डेण्टल कालेज) कानपुर।
3. समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
उपसचिव।

N.O.C